कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी महराजगंज।

पत्र सं०:– 2020/30894/MRJ/Maharajganj/197/CFO

दिनाँक: जून 08 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
ए0बी0 इन्टरनेशनल स्कूल, परसौनी खुर्द,
नौतनवा, महराजगंज।

विषय: ए0बी0 इन्टरनेशनल स्कूल, परसौनी खुर्द, नौतनवा, जनपद– महराजगंज में स्थापित स्कूल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका प्रार्थना पत्र संख्या: निल, दिनाँक: 31–05–2020।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ में ए0बी0 इन्टरनेशनल स्कूल, परसौनी खुर्द, नौतनवा, जनपद– महराजगंज, में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी निरीक्षण कराया गया तो अग्निशमन अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनाँक 04.06.2020 के अनुसार स्कूल भवन का प्लाट एरिया 7440 वर्गमीटर, भूतल कवर्ड एरिया1495 वर्गमीटर, प्रथम तल कवर्ड एरिया1495 वर्गमीटर एवं ऊँचाई 10.48 मीटर तथा स्कूल भवन पूर्व से संचालित है। प्राप्त आख्यानुसार निम्न तथ्य पाये गये।

01. **पहुँच मार्ग**– स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
02. अग्निशमन कार्य हेतु भवन के टेरेस पर टेरेस टैंक क्षमता 5,000 लीटर की व्यवस्था वांछित नहीं है।
03. स्वचालित स्प्रिकलर पद्धति स्कूल में वांछित नहीं है।
04. फर्स्ट एड होजरील की व्यवस्था वांछित नहीं है।
05. भारतीय मानक के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक मानक–2190:1992 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील, सन्तोषजनक दशा में पाये गये।
06. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन– वांछित नहीं है।
07. स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/हस्तचालित विद्युत एवं अग्नि चेतावनी पद्यति तथा हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम वांछित नहीं है।
08. सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्था– एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।
09. निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह– भवन में स्थापित हैं।
10. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत– जनरेटर स्थापित हैं।
11. फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट– एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।
12. वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम– वांछित नहीं है।
13. सेटबैक– एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित है।
14. निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था– भवन में मानक के अनुसार वांछित है।
15. फायर ड्रिल– प्रश्नगत भवन में समय–समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
16. अग्निशमन पद्यति का अनुरक्षण– आवश्यक है।
17. अग्निशमन पद्यति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षण– प्रश्नगत भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों को चलाये जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।
18. निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल समय समय पर कराया जाना आवश्यक है।
19. सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा– आवश्यक है।
20. विहित फीस जमा करने के पश्चात् अग्निशोधन का सावधि नवीनीकरण– प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त सभी अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 में दिये गये अग्निशमन व्यवस्था को पूर्ण कराना सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा, उपरोक्त शर्त पर अग्निशमन व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से 03 वर्ष तक वैद्य होगा। उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
महराजगंज।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
महराजगंज

प्रतिलिपि– अग्निशमन अधिकारी महराजगंज को सूचनार्थ।